—प्रेस नोट—

दिनांक 22.12.2020

हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा —

हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई । थाना चुनार में सन् 2009 में पंजीकृत मु0अ0स0-511/09 धारा 302,120बी भा0द0वि0 सत्र परीक्षण सख्या-165/2010 के प्रकरण में विवेचक प्रभारी निरीक्षक चुनार डी0पी0 शुक्ला द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अपर शासकीय अधिवक्ता-के0के0 पाण्डेय (ADGC) व राजेश कुमार यादव(ADGC) तथा कोर्ट मोहर्रिर म0का0 पूनम सिंह व का0 विजय कुमार द्वारा मजबूती से साक्ष्यो व गवाहों न्यायलय में समय में प्रस्तुत व जिरह करने व पैरोकार हे0का0 लालबहादुर के पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक-22.12.2020 मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्तगण रामायण व जयप्रकाश तिवारी को धारा 302 सपठित धारा-34 भादवि के तहत आजीवन कारावास व प्रत्येक अभियुक्तगण को ₹ 20,000/- के अर्थ दंड (कुल ₹ 40,000/-) से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा । अभियुक्तगण पर लगाए गए कुल अर्थदण्ड की धनराशि में से 75 प्रतिशत धनराशि मृतक वारिसनों/उत्तराधिकारीगण को प्रदान किया जायेगा । अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी । उक्त सजा माननीय अपर सत्र न्यायधीश,त्वरित न्यायालय, द्वितीय मीरजापुर द्वारा सुनाई गई ।